(11) (269)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

संख्या 1/30 नि० विविध–12/2006–1148 पटना, दिनांक 25 – 2 — 2008

भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उद्योग विभाग के अधीन जिला उद्योग केन्द्रों में कार्यरत आशुलिपिकों/आशुटंककों की भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–
   - (1) यह नियमावली जिला उद्योग केन्द्र आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2007 कही जा सकेगी।
   - (2) यह पूरे बिहार राज्य में लागू होगी।
   - (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।
2. परिभाषा – इस नियमावली में, जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–
   - (क) 'विभाग' से अभिप्रेत है उद्योग विभाग।
   - (ख) 'संवर्ग' से अभिप्रत है उद्योग विभाग के अधीन जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यालयों में कार्यरत आशुलिपिक/आशुटंकक का संवर्ग।
   - (ग) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अभिप्रेत है उद्योग निदेशक तथा
   - (घ) "आयोग" से अभिप्रत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग।
3. संवर्ग का गठन :–
   - (1) जो कर्मी वर्त्तमान में उद्योग विभाग के अधीन जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यालयों में आशुलिपिक/आशुटंकक के पद पर नियुक्त एवं कार्य कर रहे है वे स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे।
   - (2) यह संवर्ग राज्यस्तरीय होगा एवं उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा।
   - (3) इस संवर्ग के विभिन्न कोटि में आशुलिपिकों/आशुटंककों की संख्या का आकलन [illegible] होगी।
   - (4) इस संवर्ग के स्वीकृत बल [illegible] सरकार द्वारा समय-समय पर [illegible]
   - (5) इस संवर्ग का पद [illegible]

क्रमांक	ग्रेड	वेतनमान	स्तर
अ.	आशुलिपिक ग्रेड– III	4000–100–6000	मूल कोटि
ब.	आशुलिपिक ग्रेड– II	5000–150–8000	प्रोन्नति का प्रथम स्तर
स.	आशुलिपिक ग्रेड– I	5500–175–9000	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर

4. <u>नियुक्ति की प्रक्रिया</u> :–

(क) आशुलिपिक ग्रेड– III के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रीकुलेशन के अलावे आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर टंकण में दक्षता होगी।

(ख) न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष कोटिवार वास्तविक रिक्तियों के आधार पर आयोग को अधियाचना भेजी जायेगी।

(घ) आयोग अभ्यार्थियों के द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक एवं व्यवहारिक दक्षता जाँच के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगा तथा अपनी अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग करेगा। आशुलेखन जाँच की अर्हता स्तर 80 शब्द प्रति मिनट एवं टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता 30 शब्द प्रति मिनट होगी। सफल होने के लिए आशुलेखन गति में 10 प्रतिशत एवं टंकण में 1.5 प्रतिशत से अधिक अशुद्धि मान्य नहीं होगी।

5. <u>परीक्ष्यमान अवधि</u> :– नियुक्ति परीक्ष्यमान आधार पर होगी। परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी। अगर नियुक्ति कर्मी की सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं होगा तो उनकी परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी। अगर नियुक्त कर्मी की सेवा एवं आचार विस्तारित अवधि में भी संतोषप्रद नहीं रहा तो ऐसे कर्मी की सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. <u>प्रशिक्षण</u> :– परीक्ष्यमान अवधि में कर्मी को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान के मॉडल ऑफिस [illegible] एवं [illegible] कार्यक्रम में भाग लेना होगा।

7. <u>विभागीय परीक्षा एवं सम्पुष्टि</u> :–

(1) राजस्व पर्षद की [illegible] समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष विभागीय परीक्षा [illegible] की जायेगी।

(267)

(2) विभागीय परीक्षा आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता की जाँच के लिए होगी, जिसमें आशुलेखन एवं टंकण/कम्प्यूटर की गति क्रमशः 80 एवं 30 शब्द प्रति मिनट होगी। विभागीय परीक्षा में असफल होने पर प्रथम वेतनवृद्धि के बाद आगे की वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा पास होने तक रोक दी जायेगी।

(3) नियुक्त कर्मी परीक्ष्यमान अवधि के सफलता पूर्वक पूरा करने एवं प्रशिक्षण पूरा करने तथा विभागीय परीक्षा में सफल होने पर संवर्ग में सम्पुष्ट किये जा सकेंगे।

8. **प्रोन्नति** :–

(1) संवर्ग में सम्पुष्ट आशुलिपिकों की प्रोन्नति ग्रेड– III से ग्रेड– II एवं ग्रेड– II से ग्रेड– I में दक्षता-सह-वरीयता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर होगी।

(2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा, समय–समय पर, निर्धारित कलावधि पूरा करने पर एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रोन्नति विचारणीय होगी।

9. **आरक्षण** :– राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, विनिश्चित आरक्षण नीति एवं रोस्टर का नियुक्ति एवं प्रोन्नति में दृढ़ता से अनुपालन किया जायेगा।

10. **पदस्थापन** :–

(1) नियुक्त आशुलिपिकों का पदस्थापना जिला उद्योग केन्द्रों में होगा।

(2) उद्योग निदेशक, बिहार, पटना इनका स्थानान्तरण जिला स्थित जिला उद्योग केन्द्रों में कर सकेंगे।

11. इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है, उनके लिये राज्य सरकार की प्रासंगिक संहिता/विनियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

12. इस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए विभाग सक्षम होगा और उसकी व्याख्या अंतिम होगी।

13. **निरसन**– इस नियमावली के पूर्व के प्रासंगिक संकल्प/परिपत्र/अनुदेश आदि निरसित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/

(राजकुमार सिंह)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1/उ०नि० विनियम-12/2006 — 1148 पटना, दिनांक 25-2-08

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि गजट की एक सौ अतिरिक्त प्रतियाँ उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(राजकुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1/उ०नि० विनियम-12/2006 — 1148 पटना, दिनांक 25-2-08

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजकुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1/उ०नि० विनियम-12/2006 — 1148 पटना, दिनांक 25-2-08

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजकुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1/उ०नि० विनियम-12/2006 — 1148 पटना, दिनांक 25-2-08

प्रतिलिपि :— सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजकुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

265

ज्ञापांक 1/50 नि० विविध–92/2006– 1148 पटना, दिनांक 25–2–08

प्रतिलिपि :– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(राजकुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1/50 नि० विविध–92/2006 1148 पटना, दिनांक 25–2–08

प्रतिलिपि :– सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / निबंधक, उद्योग निदेशालय / निबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(राजकुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1/50 नि० विविध–92/2006– 1148 पटना, दिनांक 25–2–08

प्रतिलिपि :– सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(राजकुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।